भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1800

दिनांक 10/03/2021/19, फाल्गुन,1942 (शक) को उत्तर के लिए

पत्रकारों की गिरफ्तारी

1800. श्री राजमणि पटेल:

श्री नीरज डांगी:

डा. अमी याज्ञिक:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

श्री कुमार केतकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, 1897 और विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के उपबंधों के तहत गिरफ्तार किए गए पत्रकारों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त **कानूनों के तहत आरोपित पत्रकार जिन्हें अभी तक दोषी करार नहीं दिया गया है, उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के जरिये अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने और जांच करने तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पत्रकारों की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष आंकड़े नहीं रखता है।

रा.स.अता.प्र.सं.1800

केंद्र सरकार, पत्रकारों सहित सभी लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सर्वाधिक महत्व प्रदान करती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किए हैं कि यदि कोई व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, तो उसे कानून के अनुसार तत्काल दंडित किया जाए। विशेष रूप से पत्रकारों की सुरक्षा के संबंध में 20 अक्टूबर, 2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था, जिसमें उनसे मीडिया के लोगों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को दृढ़ता से लागू करने का अनुरोध किया गया था।

*****